[1] संसद में विपक्षी नेता (मोटरकार के लिए अग्रिम) नियम 1991

सा. का. नि. 270 (अ) :- केन्द्रीय सरकार संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 की धारा 8क के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को मोटर कारें खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता (मोटर-कार के लिए अग्रिम) नियम 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवक्त होंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम** - वह अधिकतम रकम जो संसद में किसी विपक्षी नेता को मोटर कार खरीदने के लिए उधार दी जा सकेगी, [2]एक लाख रूपये या उस मोटर कार की, जिसे खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इनमें से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

3. **अग्रिम का प्रतिसंदाय** - (1) नियम 2 के अधीन दिए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित विपक्षी नेता के वेतन से, अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी। किन्तु यदि अग्रिम लेने वाला विपक्षी नेता ऐसा चाहते है तो सरकार कम किस्तों में वसूली अनुज्ञात कर सकेगी। यह कटौती अग्रिम लेने के पश्चात् वेतन के पहले बिल से प्रारम्भ की जाएगी। अग्रिम पर उस दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा जो सरकारी सेवकों द्वारा वाहन खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियत किया गया है।

स्पष्टीकरण - (1) मासिक किस्तों मे वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूरे-पूरे रूपयों में नियत की जाएगी सिवाय अन्तिम किस्त के जब शेष बकाया रकम जिसमें रूपय की भिन्न भी है, वसूल की जाए।

(2) यदि कोई विपक्षी नेता अग्रिम नेता का पूणत: प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व अपना पद छोड़ता है तो शेष बकाया राशि उस पर ब्याज सहित तुरन्त सरकार को एक मुश्त राशि में संदत की जाएगी।

4. **मोटर कार का विक्रय -** (1) उस दशा के सिवाय जब कोई विपक्षी नेता अपना पद छोड़ता है, विपक्षी नेता अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार के विक्रय के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा यदि ऐसा अग्रिम उस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णत : प्रति संदत्त नहीं कर दिया गया है। यदि कोई विपक्षी नेता मोटर कार और उससे सम्बद्व दायित्व का अन्तरण किसी अन्य विपक्षी नेता को करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने के लिए सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा परन्तु यह तब जब खरीदने वाला विपक्षी नेता धोषण अभिलिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित मोटर कार सरकार के पास बंधक है और वह बंधक-पत्र के निबंधनों और उपंबधो से आबद्व है।

---

[1] भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। - खण्ड 3 - उपखण्ड (ii) दिनांक 8.5.1991 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 14(2)/89-का. अ-सा. का. नि. 270 (शुद्विपत्र-सा. का. नि. 347 (अ)दिनांक 19.7.1991

[2] भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। - खण्ड 3 - उपखण्ड (i) दिनांक 23.2.1999 में प्रकाशित सा. कां. नि. 133 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उन सभी मामलो में जहां किसी मोटर कार का विक्रय अग्रिम और उस पर ब्याज का पूणत: प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व किया जाता है, वहां विक्रय आगम का उपयोग जहां तक आवश्यक हो, शेष बकाया रकम के प्रतिसंदाय के लिए किया जाना चाहिए:

परन्तु जब मोटर कार का विक्रय इस दृष्टि से किया जाता है कि दूसरी मोटर गाड़ी खरीदी जा सके तब सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिए उपयोग किए जाने के लिए विपक्षी नेता को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञा कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) शेष बकाया रकम नई कार की लागत से अधिक नहीं होने दी जाएगी

(ख) शेष बकाया रकम का पूर्व नियात दर पर प्रतिसंदाय किया जाता रहेगा और

(ग) नई कार सरकार को बंधक की जाएगी और उसका बीमा भी करवाया जाएगा।

5. **अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए बातचीत पूरी की जा सकेगी** - अग्रिम लेकर मोटर कार खरीदने वाला विपक्षी नेता मोटर कार खरीदने की बातचीत की बातचीत पूरी करके उसका अन्तिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगा, ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल रहने पर लिए गए अग्रिम की पूरी रकम उस पर एक मास के ब्याज सहित सरकार को वापस कर दी जाएगी किन्तु लेन देन पूरा करने को एक मास को अवधि में सरकार द्वारा विशेष मामलों में छूट दी जा सकेगी । जब किसी मोटर कार की खरीद करके उसका पूरा संदाय किया जा चुका हो तब मोटर कार की खरीद करने के लिए कोई अग्रिम अनुज्ञय नहीं होगा यदि संदाय भागरूप किया गया है तो अग्रिम दी जाने वाली बाकी रकम तक सीमित होगा जैसा विपक्षी नेता द्वारा प्रमाणित किया जाए।

6. **करार का निष्पादन** - अग्रिम लेते समय विपक्षी नेता प्ररूप 1 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह सब अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर कार सरकार को आडमान करते हुए प्ररूप 2 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा। मोटर कार की कीमत बंधपत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्टि की जाएगी।

7. **लेखा अधिकारी का प्रमाणपत्र** - जब को अग्रिम लिया गया हो तब मंजूरी प्राधिकारी लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले विपक्षी नेता ने प्ररूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए है और वह करार ठीक पाया गया है मंजुरी प्राधिकारी यह देखेगा कि मोटर कार की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो नियम 5 के अधीन लेन देन पूरा करने के लिए विशेष मामलो मे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात की गई हो की जाती है और वह प्राधिकारी प्रत्येक बंधपत्र को अंतिम रूप से रिकार्ड किए जाने से पूर्व लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. **सुरक्षित अभिरक्षा और बंधपत्र का रद्द किया जाना** - बंधपत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा जब अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णत: संदाय कर दिया गया हो, तब अग्रिम और ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में लेखाअधिकारी से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् बंधपत्र सम्यक्त: रद्द किया जा कर संबधित विपक्षी नेता को वापस कर दिया जाएगा ।

9. **मोटर कार का बीमा** - अग्रिम से खरीदी गई मोटर कार का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि के लिए पूरा बीमा कराया जाएगा। बीमा पालिसी में (प्ररूप 3 में रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कम्पनी मोटर कार की ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत यथापूर्वककरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्ही राशियो का संदाय स्वामी को करने के बजाए सरकार को करने के लिए करार करती है।

प्ररूप **1**

[नियम **6]**

प्रमाण-पत्र

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप।

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .... जो संसद (लोकसभा/राज्य सभा में विपक्षी नेता है) जिसे इसमें इसके आगे उधार लेने वाला कहा गया है (और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति(जिन्हें इसमें इसके आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .. .. को किया गया।
उधार लेने वाले ने मोटर कार खरीदने के लिए संसद में विपक्षी नेता (मोटर कार के लिए अग्रिम) नियम, 1991 के अधीन .... रू (.. .. .रूपये) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम इसमें इसके आगे दिए गए निंबधनों और शर्तो पर देने के लिए सहमत हो गई है।

2.इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई . . . . रू0 (. . . . . रूपये) की राशि (जिसके लिए उधार लेने वाला इसके द्वारा पावती देता है) के प्रति फलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह . . ..

(i)उक्तनियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपनेवेतन में से प्रति मास कटौती कराके, जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबंधित है, और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है

(ii) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर, उक्त उधार की पूरी रकम मोटर कार खरीदने में लगाएगा या यदि इसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त लौटा देगा, और

(iii)उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उसे दी उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर कार का केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आडमान रखने के लिए उक्तनियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेत निष्पादित करेगा। अंत में यह करार किया जाता है और घोषण की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास की भीतर मोटर कार खरीदी नहीं जाती है और आडमान नहीं रखी जाती है या यदि उधार लेने वाला उक्तअवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है या अन्यथा विपक्षी नेता नहीं रहता है या मर जाता है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रोदभूत ब्याज तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर उपर लिखी तारीख को उधार लेने वाले ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
उक्त श्री. . . . . .ने . . . .की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप।।

(नियम6)

मोटरयान के लिए अग्रिम बंधक पत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . .. (जिसे इसमें इसके आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके वारिस प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख . . . . को किया गया।

अधार लेने वाले ने एक मोटर यान खरीदने के लिए संसद में विपक्षी नेता (मोटर कार केलिए अग्रिम) नियम 1991 (जिन्हें इसमें इसके आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 के निबंधनों पर . . . . रूपए के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर लिया गया है और उधार लेने वाले को उक्त उधार जिन शर्तो पर दिया गया है/दिया गया था उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाले उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर यान राष्ट्रपति को आडमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में दिए उधार की रकम से या उसके भाग से मोटर यान जिसकी विशिटियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई है, खरीद ली है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह करार करता है कि वह पूर्वोक्त . . . . रू0 (. . . . . .रूपए) की रकम या उसके उस अतिशेष का, जो इस विलेख की तारीख हो असंदत्त रह जाता है . . . . .रूपए (. . . . . .रूपए) की समान किस्तों मे प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और तत्समय देय और शोध्य रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज देगा, तथा उधार लेने वाला इस बात के सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमो द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन में से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेगी और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेनेवाला मोटर यान का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में उपवर्णित हैं, उक्लअग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह धोषण करता है कि उसने उक्त मोटर यान की पूरी कीमत दे दी है और वह उसकी आत्यंतिक सम्पत्ति है उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह मोटर यान को न तो बेचेगा, न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा।

यह भी करार किया जाता है घोषण की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नहीं दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी भी समय अपना पद छोड़ देता है या अन्यथा विपक्षी नेता नहीं रहता हे अथवा यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर यान को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उघार लेने वाले के खिलाफ किसी ब्रिक्री या निणर्य के

निष्पादन में कार्यवाही आरंभ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप मे संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी;

और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर यान अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसकों हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगें या उसे हटा सकेंगें और सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उक्त मोटर यान को बेच सकेगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में ले उक्त उधार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में संगाणित और देय कोई ब्याजऔर इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे, तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे;

परन्तु उक्त मोटर यान का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने पर या उसके वैयाक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिये, अथवा यदि मोटर यान बेच दिया जाता है तो उतनी रकम के लिए राष्ट्रपति के बाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी से बेचने से प्राप्त शुद्व आगम देय रकम से कम पड़े;

तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और बाकी रहे, तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटर यान का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कंमनी में, जो संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू रखेगा तथालेखा अधिकारी के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्या पेश करेगा कि उक्त मोटर बीमा कंपनी को, जिसमें उक्त मौटर यान का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उसकी पालिसी से राष्ट्रपति हितबद्व है;

और उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटर यान को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या लेने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटर यान को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्धटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटर यान का वर्णन	. . . .
निर्माता का नाम	. . . .
वर्णन	. . . .
सिलेण्डरों की संख्या	. . . .
इंजन संख्या	. . . .
चेसिस संख्या.	. . . .
लागत कीमत	. . . .

इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें उपर लिखी तारीख को उक्त . . . . (उधार लेने वाले का नाम) ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से ... . ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

उक्त . . . .(उधार लेने वाले का नाम)

ने . . . .

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)

(1). . .. . (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2). . .. . (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय),

. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

. . .. (नाम और पदनाम)

ने . . . .

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

(1) .. .. (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2).. . . .. (साक्षी कानाम, पता और व्यवसाय),

. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम . . . .

प्ररूप ।।।

(नियम 9)

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्ररूप

यह घोषण की जाती है और करार किया जाता है कि श्री .... (मोटर कार का स्वामी, जिसे इसमें इसके आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने मोटर कार भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें इसके आगे सरकार कहा गया है) इन अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में आडवान कर दी है, जो उस मोटर कार के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ऐसे धन में हितबद्व है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री.. .. .. (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त मोटर कार की हानि या नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत यथा पूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता और ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वे मोटर कार के बंधकदार है और उनकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप के जो करार किया गया है उसके सिवाय उसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पॉलिसी के किसी निबंधन उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

(सं0 14(2) 89 का. अ.)